दूरभाष : 2627643

राजस्थान लोक सेवा आयोग

अजमेर 305001

स्पीड पोस्ट

क्रमांक :- एफ 2(6)संस्था/रालोसेआ/16-17/ 5123 दिनांक 22/12/20

श्री वेद प्रकाश शर्मा,
(अस्थाई आरक्षित सूची क्रमांक - 01)

विषयः - आयोग कार्यालय में लिपिक ग्रेड-।। के पद पर कार्यग्रहण करने के संबंध में ।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक/ लिपिक ग्रेड-।। संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर कार्यालय के लिए अस्थायी रुप से उत्तीर्ण होने पर इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4148-68 दिनांक 06.11.20 द्वारा आपको आयोग कार्यालय में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में लिपिक ग्रेड-II पद पर नियुक्त किया जाकर उक्त आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में कार्यभार सम्भालने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश में यह भी अंकित किया गया था कि निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही आपको कार्यग्रहण करने हेतु आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भी सूचित किया गया था किन्तु आपने उक्त पद पर न तो कार्यग्रहण किया और न ही कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया ।

तदुपरांत आयोग कार्यालय के समसंख्यक स्मरण पत्र दिनांक 03.12.20 द्वारा आपको आयोग कार्यालय में लिपिक ग्रेड-।। के पद पर कार्यग्रहण हेतु पुनः अवसर दिया जाकर उक्त स्मरण पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अतिरिक्त समयावधि प्रदान की गई। उक्त स्मरण पत्र आपके Whatsapp पर दिनांक 04.12.20 को प्रेषित किया गया था, जिसे आप द्वारा Read किया जा चुका था। परन्तु Whatsapp पर सूचित किये जाने के बावजूद भी आपने उक्त पद पर न तो कार्यग्रहण किया और न ही कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया । उक्त पत्र आपको आप द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर भी दिनांक 03.12.20 को स्पीड-पोस्ट डाक के माध्यम से भिजवाया गया था, जो कि आयोग कार्यालय को "Left W.A." अंकित होकर वापस प्राप्त हुआ।

अतः आपको पुनः अन्तिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से उक्त पद पर कार्यग्रहण कर लेवें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

(नीतू यादव)
संयुक्त सचिव एवं
कार्यवाहक सचिव